(c) if the answers to parts (a) and (b) in the affirmative, what steps Government are taking so that such like heart breaking senses shold not recur throughout the country?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

More funds for SC/ST Finance Development Corporation

4654. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the amount sanctioned to the National Scheduled Castes/Scheduled Tribes Finance and Development Corporation for the year 1993-94; and the amount demanded by the Corporation;

(b) how far this amount is considered sufficient for the economic development of SC/STs on all India basis; and

(c) whether Government are going to sanction more funds; if so, by when?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Planning Commission approved an outlay of Rs. 21 crores for the financial year 1993-94 against a demand of Rs. 50 crores by National SC/ST Finance and Development Corporation.

(b) In view of the financial constraints of the Government the above mentioned amount has been sanctioned in order to accelerate the economic development of SCs/STs.

(c) The matter of increasing the outlay of National SC/ST Finance and Development Corporation has already been taken up with the Planning Commission.

डा० अम्बेडकर शताब्दी की राष्ट्रीय समिति की बैठक

4655. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 12 अप्रैल, 93 को डा० अम्बेडकर शताब्दी की राष्ट्रीय समिति की चौथी बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हां। डा० अम्बेडकर शताब्दी संबंधी राष्ट्रीय समिति की चौथी बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 12 अप्रैल, 1993 को सम्पन्न हुई।

(ग) यह सिफारिश की गई कि शताब्दी समारोह के दौरान मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यक्रमों/क्रियाकलापों/योजनाओं को तालिका बद्ध किया जाना चाहिए तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रगति का मूल्यांकन और इसकी समीक्षा प्रथमतः कल्याण मंत्री के स्तर पर तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रधान मंत्री के स्तर पर की जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई कि यह देखने हेतु कुछ प्रबन्ध भी किये जाने चाहिए कि

दीर्घावधि वाले कार्यक्रमों की शुरूआत समर्पित संस्थानों अथवा तंत्रों द्वारा निष्ठापूर्वक की जा रही है। इसके अलावा यह सिफारिश भी की गई कि यह देखने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किये जायें कि क्रियान्वयन की गति को बनाये रखा जाए ताकि कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जा सके।

(घ) प्रथम चरण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालय से शताब्दी समारोहों के दौरान उनके द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों/क्रियाकलापों/योजनाओं के संबंध में अद्यतन क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है ताकि इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन और इनकी समीक्षा की जा सके।

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान करने में अनियमितताएं

4656. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) क्या यह सच है कि कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भारी अनियमितताएं होती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश स्वैच्छिक संगठनों की उपलब्धियां मात्र फाइलों पर ही है और मंत्रालय उन्हीं उपलब्धियों के आधार पर ही वित्तीय सहायता देता है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं को रोकने और ऐसी उपलब्धियों के आधार पर वित्तीय सहायता देने वालों को सजा देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी; और

(घ) कल्याण मंत्रालय द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं और राज्य एजेंसियों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और इस वित्तीय सहायता के प्राप्तकर्ताओं के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ग) कल्याण मंत्रालय से जो स्वैच्छिक संगठन, सहायतानुदान प्राप्त करते है, वे संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं और निधियों के उपयोग में अनियमितताओं के मामले बहुत ही कम हैं। संबंधित संगठनो से उपयोग प्रमाण पत्र, अंकेक्षित लेखा विवरण तथा अवधिक रिपोर्ट प्राप्त करने के अलावा, कल्याण मंत्रालय द्वारा इसके अपने अधिकारियों के माध्यम से या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसी के माध्यम से तथा विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में तैनात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के निदेशकों के माध्यम से निरीक्षण भी किया जाता है। जब कभी भारी अनियमितताएं ध्यान में आती हैं, तो न केवल आगामी सहायतानुदान रोक लिया जाता है बल्कि गबन या अन्य आपराधिक अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई हेतु अपराधिक कार्यवाही भी शुरू की जाती है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।